



भूमि कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)

कमांक / न.पा.नाथ / राजस्व / 2022 / 15203

दिनांक :- 26-08-2022

ऑनलाईन निलामी सूचना

E-Auction program of ganghut nathuwas in nagar palika nathdwara, 2022

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा पालिका क्षेत्र में स्थित "गैंगहाट नाथुवास" का जहाँ है जैसा है, की तर्ज पर भूमि निष्पादन नियम 1974, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(4) वित्त/साविलेनि/2006 दिनांक 13.07.2021, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के सक्षम स्तरीय अनुमोदन आदेश राज काज क्रमांक 02886 दिनांक 29.07.2022, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के पत्रांक मुअ/अनु.ग्यारह/2022-23/डी-432 दिनांक 05.08.2022 के क्रम में सार्वजनिक विभाग कि सम्पत्ति "गैंगहाट नाथुवास" का नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा कार्यकारी एजेन्सी के तौर पर भव्य ऑन लाईन निलामी (ई-ऑक्शन) बोली आमंत्रित की जाती हैं।

निम्न सारणी अनुसार निर्धारित दिनांक को पालिका की वेबसाईट <https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-palika-nathdwara/en/home.html> और <https://nnp.procure247.com/home> पर लगाई जा सकती हैं।

अमानत राशि जमा कराने/निलामी बोली प्रारंभ की दिनांक :- 01.09.2022
अमानत राशि जमा करवाने की अंतिम दिनांक :- 29.09.2022 दोपहर 03:00 बजे तक
निमाली बोली की अंतिम दिनांक :- 30.09.2022 दोपहर 12:30 बजे तक

क्र.स.	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग फिट में)	न्युत्तम बोली दर	पंजीयन शुल्क	प्रतिभूति राशि
1.	गैंगहाट नाथुवास	20401.00 Sq Feet	451.47 लाख	15000	75.00 लाख

निलामी शर्तें :-

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को ई-ऑक्शन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए निलामी से पूर्व 75.00 लाख मात्र प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवानी होगी। उक्त प्रतिभूति राशि जो बोली समाप्ति के पश्चात् सफल बोली दाता की राशि छोड़कर शेष बोलीदाताओं को पुनः लोटा दी जावेगी। उक्त राशि पालिका संख्या 50200060718981 IFSC code:- HDFC0004256 में जरिये ऑनलाईन पोर्टल जमा होगी। उक्त राशि जमा पश्चात् HDFC बैंक द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति बोलीदाता उक्त निलामी हेतु निर्मित पोर्टल पर पुर्तियाँ पुर्ण कर बोली प्रक्रिया में भाग ले सकता हैं।
2. E-Auction द्वारा निलाम किये जाने वाले सम्पत्ति का नाप मौका अनुसार घट-बढ़ सकता हैं।
3. सफल बोलीदाता की बोली स्वीकृत किये जाने कि दशा में पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि को जमा मानते हुए मांग पत्र जारी होने के 03 कार्य दिवस में नगरपालिका नाथद्वारा के खाते में कुल स्वीकृत बोली राशि की 25 प्रतिशत (पूर्व जमा प्रतिभूति राशि को समायोजित) राशि RTGS/NEFT द्वारा जमा करवानी होगी। एवं राशि जमा की सूचना राजस्व शाखा में देनी होगी। सफल बोली दाता द्वारा स्वीकृत बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि 03 दिवस में जमा नहीं करवाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर सम्पत्ति की निलामी निरस्त कर दी जावेगी।
4. सफल बोली दाता को कुल स्वीकृत बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत राशि मांग पत्र जारी होने की दिनांक से 90 दिवस की अवधि में जमा करवानी अनिवार्य होगी।
5. यदि सफल बोली दाता द्वारा 90 दिवस में 75 प्रतिशत राशि जमा कराने में असफल रहता हैं तो पूर्व में जमा 25 प्रतिशत जब्त हो जायेगी एवं सम्पत्ति की निलामी निरस्त हो जावेगी।
6. सफल बोलीदाता द्वारा पालिका से जारी मांग पत्र की दिनांक से 15 दिवस में सम्पत्ति की सम्पूर्ण राशि जमा करवायी जाती हैं तो वह कुल स्वीकृत बोली राशि पर 02 प्रतिशत छुट पाने का अधिकारी होगा।
7. ई-निलामी में प्रत्येक बोली दाता को 5.00 लाख रुपये के गुणक में बोली लगानी अनिवार्य होगी।

आदेशित
अधिकारी
नगरपालिका नाथद्वारा

अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

8. निलाम किये जाने वाली सम्पति फ्री होल्ड लीज के आधार पर विक्रय होंगे। लीज राशि आवासीय भूखण्ड पर 2.5 प्रतिशत की दर से वसुलनीय होगी। यदि बोलादाता द्वारा कय भूखण्ड के चालु वर्ष के साथ अग्रीम 10 वर्ष की लीज एक मुस्त जमा करवायी जाती है तो उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
9. निलामी बोली निरस्त करने तथा निलामी अवधि बढ़ाने का अधिकार पालिका के पास सुरक्षित है।
10. निलामी की बोली उस समय तक अस्थाई होगी। जब तक सक्षम अधिकारी उसे स्वीकार न कर दे बोली अस्वीकार किये जाने पर जमाशुदा 1/4 जमा राशि वापस लौटा दी जावेगी।
11. अन्य सभी राजकीय नियमों आदेशों (समय-समय पर यथा संशोधित) की पालना खरीददार को करना होगी तथा भविष्य में इस बाबत कोई नियम बनाये जावेंगे तो वह लागु होंगे।
12. निलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, अध्यक्ष नगरपालिका नाथद्वारा में निहित होगा, जो समरत बोलीदाताओं को मान्य होगा।
13. अन्य जानकारी कार्यालय अथवा पालिका की वेबसाईटपर किसी भी कार्य दिवस में देखी या प्राप्त की जा सकती है।
14. उक्त निलामी हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सभी लाभ/छुट देय होगी।
15. उक्त सम्पति का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2021 अनुसार आवासीय है।



(मनीष शर्मा)

नगरपालिका, नाथद्वारा
नगरपालिका नाथद्वारा


दुरभाष नम्बर :- 02953-233526,
मोबाईल नम्बर :- 9680787977, 8003448227

कर्मांक/न.पा.नाथ/राजस्व/2022/15204-15213
प्रतिलिपी :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजसमन्द।
2. श्रीमान उपनिदेशक महोदय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा।
4. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, नाथद्वारा।
5. श्रीमान् मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग उदयपुर।
7. श्री अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त राजसमन्द।
8. श्री अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजसमन्द (राज.) के सूचनार्थ।
9. श्री हरीश सैन सहायक प्रोग्रामर नगर पालिका नाथद्वारा को आदेशित किया जाता है उक्त सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान संवाद सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर शासन सचिवलय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त ऑक्शन सूचना का प्रकाशन
 1. आगामी 2 राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में सम्पूर्ण राज्य अंक में एवं
 2. 1 केन्द्रीयस्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें। एवं बिल 3 प्रतियों में प्रस्तुत करें।


(कौशल कुमार खट्टमरा)
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा
नगरपालिका नाथद्वारा

दिनांक :- 26-08-2022


(कौशल कुमार खट्टमरा)
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा
नगरपालिका नाथद्वारा